न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 15/21 सन् 2021

GCMS NO-2021/2910

बउनवानीः— 1. हमीदन पुत्री सुबराती मुसलमान नि0 लवकुश कॉलोनी तह0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. कलामुद्दीन पुत्र सुबराती मुसलमान नि0 जटवाडा खुर्द तह0 सवाईमाधोपुर
2. मो0 सलीम पुत्र सुबराती मुसलमान नि0 जटवाडा खुर्द तह0 सवाईमाधोपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर
4. मधुबाला पत्नि गिर्राज प्रसाद मंगल निवासी गणेश नगर बी जटवाडा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामान्तरकरण संख्या 241 दिनांक 24.10.2003 वाके ग्राम जटवाडा खुर्द अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री संदीप शर्मा वकील अपीलान्टगण

2. श्री विष्णु सोमानी/श्री विनोद कुमार अग्रवाल वकील रेस्पो.

—: निर्णय :— दिनांक 25.3.2026

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 241 दिनांक 24.10.2003 वाके ग्राम जटवाडा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अदालत मातहत ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व मृतक सुबराती के विधिक वारिसान के बारे में किसी प्रकार की जांच नहीं की मात्र रेस्पोडेन्ट से साज—बाज कर तथ्यों को छिपाकर उक्त नामांतरण खोला गया है जो कि लायके खारिज है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का द्वारा की गई गलत एवं मिथ्या रिपोर्ट पर भरोसा कर गलत प्रकार से नामांतरण खोला है। अदालत मातहत ने मृतक सुबराती के विधिक वारिसान एवं उत्तराधिकारियों की सही प्रकार से जांच नहीं की गयी है इसलिए उक्त विरासत का नामांतरण अपीलांट के नाम खोले जाने से रह गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने बिना किसी प्रकार की सूचना दिये उक्त नामांतरण रेस्पो. संख्या 1 व 2 के नाम खोला है जबकि अपीलान्ट मृतक सुबराती की पुत्री होने के कारण सुबराती की सम्पत्ति में हिस्सा होने के बावजूद तहसीलदार महोदय ने रेस्पोडेन्ट से साज—बाज कर पटवारी हल्का के गलत एवं मिथ्या जांच रिपोर्ट के आधार पर मृतक सुबराती की विरासत का नामांतरण बिना अपीलांट को सूचित किये गुप चुप तरीके से खोला है। अपीलांट सुबराती की पुत्री है सुबराती की मृत्यु के बाद उसके पुत्र कलामुद्दीन, मो० सलीम एवं बेवा शकूरन के नाम उक्त भूमि का नामांतरण गलत खोला गया है। मृतक सुबराती की पुत्री होने के कारण अपीलांट के नाम भी नामांतरण खोला जाना चाहिये था जो नही खोला गया है। वर्तमान समय में शकूरन की मृत्यु हो चुकी है। यह तर्क भी दिया कि अपीलांट को रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व अधिकारियों से साज—बाज कर खुलाये गये नामांतरण का इल्म नही था क्योंकि अपीलांट विवाह के बाद अपने पति के घर रह रही थी दिनांक 20/9/2021 को पटवारी हल्का से अपीलांट को गुपचुप तरीके से खुलवाये गये उक्त नामांतरण जानकारी हुई जानकारी की दिनांक से दिनांक 23/9/2021 को नकल प्राप्त होने पर अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के अन्दर मियाद अपील पेश है की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जेर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया।

.....(1).....

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

वकी रेस्पो0 संख्या 4 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील मयाद बाहर पेश की गयी है तथा देरी से अपील पेश करने का कोई न्यायसंगत कारण भी नही बताया गया है। अपीलान्ट द्वारा यह भी नही बताया कि मुस्लिम कानून के अनुसार अपीलान्ट का कितना हिस्सा बनता है। यह तर्क भी दिया कि यदि यह मान भी लिया जावे कि पिता की सम्पति मे पुत्री का हिस्सा बनता है परन्तु वह इतने समय से चुप क्यो बैठी थी इसलिए अब इतने समय बाद उसका हिस्सा इस अपील मे माध्यम से नही दिया जा सकता है। कथन के समर्थन में RRD July 2002 पेश किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त विवादित नामा0 से संबंधित भूमि का वर्तमान आबादी मे सम्परिवर्तन हो चुका है तथा उक्त भूमि वर्तमान मे कॉलोनी बसी हुई है। जिसमे कई व्यक्तियों के मकानात बने हुऐ है। यदि आदेश जैर अपील खारिज हो जाता है तो कई व्यक्तियों का हित प्रभावित होगा तथा जिन व्यक्तियों का हित प्रभावित होगा अपीलान्ट द्वारा उनको पक्षकार नही बनाया है। ओर विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि प्रकरण मे सभी आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार बनाया जाकर उन्हे सुनने के बाद ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए कथन के समर्थन में RRD 14-11-2019 page 735 पेश किया गया। यह तर्क भी दिया कि विवादित भूमि को लेकर उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर मे वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ती,उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है तथा नियमित वाद के विचाराधीन रहते नामा0 की अपील के माध्यम से अपीलान्ट अपने अधिकार तय नही करवा सकती है क्योकि नामा0 अपील की प्रकिया फिसकल प्रकिया है। कथन के समर्थन में RRD March, 2003 psge138 पेश किया गया। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षो द्वारा किये गये कथन पत्रावली मे उपलब्ध दस्तोवजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट के अनुसार अपीलान्ट मृतक सुबराती पुत्र खुदाबक्स लुहार की पुत्री है किन्तु सुबराती की विरासत का नामा0 संख्या 241 अपीलान्ट के नाम नही भरा जाकर रेस्पो0 के नाम भरा गया है जो विधिविरूद्व है। वकील रेस्पो0 के कथनानुसार अपीलान्ट द्वारा लगभग 22 वर्ष बाद अपील पेश करने का कोई विधिक कारण नही बताया गया है। इसके अतिरिक्त आदेश जैर अपील से संबंधित उक्त भूमि पर कई व्यक्त्यिों के मकान बने हुए है जिनको इस प्रकरण मे पक्षकार नही बनाया गया है तथा सभी प्रभावित पक्षकारान को पक्षकार बनाया जाकर उनको सुनवायी का अवसर दिया जाकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए के समर्थन प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRD 14-11-2019 page 735 इस प्रकरण पर बखूबी चस्पा होते है। इसके अतिरिक्त आदेश जैर अपील से संबंधित भूमि को लेकर न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर मे वाद विचाराधीन है तथा नियमित वाद के विचाराधीन रहते नामा0 की अपील के माध्यम से अपीलान्ट अपने अधिकार तय नही करवा सकती है के समर्थन प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRD March, 2003 psge138 इस प्रकरण मे बखूबी चस्पा होते है। इस प्रकार वकील रेस्पो0 द्वारा किये गये कथन के समर्थन मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण में बखूबी चस्पा होते है। अतः नामा0 संख्या 241 दिनांक 24.10.2003 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है ।

अतःउपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्राावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25..3.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

.....(2).....

Scanned with OKEN Scanner